


बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0:-भवन/स्था0-02-विविध-43/2026.....58.....पटना, दिनांक-24/02/26
कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के संकल्प सं0-8043 दिनांक-11.10.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में श्री दीपक कुमार, नवनियुक्त सहायक वास्तुविद, मुख्य वास्तुविद का कार्यालय, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उनके प्रभार ग्रहण की तिथि दिनांक-29.01.2026 (पूर्वाह्न) के प्रभाव से वेतन स्तर-9 के अनुसार अनुमान्य शहरी परिवहन भत्ता ₹3,000/- +मँहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2. यह भत्ता अवकाश, प्रशिक्षण, भ्रमण आदि कारण लगातार 30 दिनों से अधिक अवधि तक कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में अनुमान्य नहीं होगा।
3. यदि यह पाया गया कि उक्त पदाधिकारी को गलत परिवहन भत्ता का भुगतान किया गया है तो उसकी वसूली उनके वेतन से एकमुश्त कर ली जायेगी।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(ललित कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 1947 (20)

पटना, दिनांक-24/02/26


प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 1947 (25)

पटना, दिनांक-24/02/26

प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ श्री दीपक कुमार, नवनियुक्त सहायक वास्तुविद, मुख्य वास्तुविद का कार्यालय एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


सरकार के उप सचिव।